Cooperative farming in the country

†*147. SHRI SHIVA CHANDRA JHA:
SHRI LADLI MOHAN NIGAM:

Will the Minister of AGRICULTURE AND IRRIGATION be pleased to state:

(a) what steps Government have taken so far for the development and extension of the cooperative farming system in the country and with what results;

(b) what is the percentage of the land holdings in the country under cooperative farming vis-a-vis individual holdings, State-wise;

(c) whether there is any time-bound programme under Government's consideration to bring all the land holdings under cooperative farming; and

(d) if so, what are the details thereof and if not, what are the reasons therefor?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF AGRICULTURE AND IRRIGATION (SHRI BHANU PRATAP SINGH): (a) to (d) A statement is laid on the Table of the House.

Statement

(a) The Government of India was promoting organisation of cooperative farming societies and providing financial assistance for it during the earlier Plan periods upto 1968-69. On a review of the progress achieved and the difficulties in organising cooperative farming, the Government of India discontinued the scheme of assistance. The State Governments provide assistance for cooperative farming societies already organised and for new societies which may be organised on a voluntary basis.

(b) The area of land commanded by joint farming societies and collective farming societies is 0.55 million hectares forming 0.38 per cent of the total net cultivated area. State-wise details are given in the annexure. [*See* Appendix CVII, Annexure No. 38.]

(c) No, Sir.

(d) The problems of motivation and organisation involved in cooperative farming had not been successfully solved on any significant scale. Therefore, the emphasis is on providing through multi-purpose cooperative societies the services required by agriculturists at the field level rather than organising joint farming or collective farming as such.

श्री शिव चन्द्र झा : सभापति महोदय, मंत्री महोदय ने जो जवाब दिया है, स्टेटमेंट सदन के पटल पर रखी है वह साफ नहीं है। आप जानते हैं कि देश में बहुत से भूमिहीन हैं। भूमिहीनों को जमीन मिलनी चाहिए (*Interruptions*) कोआपरेटिव की क्यों जरूरत होती है इसी पर मै आ रहा हूं बहुत से भूमिहीन हैं जिनको जमीन मिलनी चाहिए। अभी भी बड़े-बड़े रकबों, बेनामी जमीन के बारे में अखबारों में आता है और भूमि सुधार की जो बात है इसमें भी कोई सुधार नहीं हो पाया है। समस्या ज्यों की त्यों पड़ी हुई है। देश का सारा रकबा, जिसे इकोनामिक होल्डिंग कहते हैं इस आधार पर यदि हम बांट भी दें तो भी वैज्ञानिक ढंग से सोचने पर भूमिहीनों की समस्या रही जाती है किसानों को जिनके पास जमीन नहीं है उनको जमीन हो और साथ ही साथ एक वैज्ञानिक ढंग से इकोनामिक होल्डिंग हो, इन दोनों का समावेश होता है तब आप कोआपरेटिव फार्मिंग को बढ़ाते हैं या दूसरे शब्दों में इसे कहा जाता है कि विलेज ओनरशिप आफ लैंड। जमीन की मिलकियत गांव की होने से भूमिहीनों की समस्या दूर होगी और साथ ही साथ वैज्ञानिक ढंग से खेती होगी।

†The question was actually asked on the floor of the House by Shri Shive Chandra Jha.

MR. CHAIRMAN: When are you going to put your supplementary?

श्री शिव चन्द्र झा : इसी लिये मंत्री महोदय ने जवाब दिया है कि 1968-69 में कोआपरेटिव फार्मिंग को जो असिस्टेंस, मदद दी जाती थी वह बन्द कर दी गई है और स्टेट आधार पर जो कोआपरेटिव असिस्टेंस है वह दी जा रही है ।

MR. CHAIRMAN: Please put your supplementary.

श्री शिव चन्द्र झा : सभापति महोदय, मैं यह जानना चाहता हूं कि कोआपरेटिव फार्मिंग जिस प्रकार से चलता है और जिस प्रकार से इकानामिक ढंग से चलाने पर खेती में पैदावार बढ़ाई जा सकती है उसके लिए आप क्या कदम उठा रहे हैं ? मैं यह भी जानना चाहता हूं कि कोआपरेटिव फार्मिंग से देश भर में खेती की पैदावार बढ़ाई जा सके और खेती करने के जो छोटे-छोटे टुकड़े हैं, उन सब को कोआपरेटिव फार्मिंग में लाने के लिए क्या आप कोई कार्यवाही कर रहे हैं ? यह ठीक है कि पुरानी नीति के अनुसार जो कोआपरेटिव फार्मिंग चल रहे थे उनको आपने डिसकंटीन्यू कर दिया, लेकिन आप नये ढांचे के अन्तर्गत कोई बुनियादी नई नीति अपना कर इस दिशा में क्या कदम उठाने जा रहे हैं ?

श्री भानु प्रताप सिंह : श्रीमन्, इस संबंध में उत्तर मे स्थिति बहुत स्पष्ट कर दी गइ है, लेकिन फिर भी अगर उसमें कोई कमी है तो मैं उसको स्पष्ट कर देता हूं । सहकारी खेतो से अगर कोई यह आशा करे कि इससे उत्पादन में बढ़ोत्तरी होती है, यह नितान्त भ्रम है । हमारे देश में जो भी सहकारी खेती चल रही है उसके नतीजे इस प्रकार हैं । जो जौइन्ट फार्मिंग सोसाइटीज हमारे देश में हैं उन की कुल वल्यू पर-हेक्टेयर 270 रु० है । यानी तीन क्वींटल फी हेक्टेयर भी उस पर पदावार नहीं होती है । इसके अलावा जो दूसरे किस्म के कलेक्टिव फार्मिंग सोसाइटीज हैं उस पर तो 133 रु० पर हेक्टेयर पैदावार होती है । इन आंकड़ों को देखने के बाद कोई यह आशा करे कि इस देश में को-आपरेटिव फार्मिंग के नतीजे अच्छे निकलेंगे तो यह एक भ्रम है । सभी जो कोआपरेटिव फार्मिंग सरकार की तरफ से चल रहे हैं उनको तो सरकार चलने देगी और अगर कोई अपनी मर्जी से कोआपरेटिव फार्मिंग करना चाहता है तो वह भी ऐसा कर सकता है । लेकिन सरकार इन बातों को प्रोत्साहन नहीं देगी ।

दूसरी बात मैं यह भी स्पष्ट करना चाहता हूं कि क्या कोई इकोनामिक होल्डिग होती है ? किसी भी फार्मिंग के लिए कैपिटल की जरूरत होती है । यह कांसेप्ट भी गलत है कि छोटी होल्डिंग इकोनामिक नहीं होती है । जापान और कोरिया में छोटी होल्डिंग इकौनामिक साबित हुई है । अगर छोटी होल्डिंग की सारी आवश्यकताएं पूरी कर दी जाएं तो वह भी इकोनामिक बन जाती है ।

श्री शिव चन्द्र झा : श्रीमन्, मैं यह जानना चाहता हूं कि जो मल्टी परपज कोआपरेटिव सोसाइटीज होती है उनको आप जो सेवाएं देते हैं उनके स्टेटवाइज आंकड़े क्या हैं, उनको सरकार द्वारा सेवाएं किस रूप में दी जाती हैं ? कृपया आप इसका स्टेटवाइज आंकड़ा बताने का कष्ट करे ।

श्री भानु प्रताप सिंह : श्रीमन्, ज्यादातर सेवाएं फर्टीलाइजर के रूप में और सीड्स के रूप में दी जाती हैं । हमारे जो सर्विस सेंटर हैं उनके माध्यम से ये सेवाएं उपलब्ध कराई जाती हैं । हमारी तरफ से जितना भी संभव होता है, हम इस बात की कोशिश करते हैं कि ये सेवाएं ज्यादा से ज्यादा उपलब्ध कराई जायें ।

MR. CHAIRMAN: The hon. Minister may reply. Stop now.

श्री रामानन्द यादव : मंत्री जी ने प्रश्न के उत्तर में जिस प्रकार से स्थिति को स्पष्ट

किय है उससे साफ मालम होता है कि व किस भू-स्वामियों के तबके से आते हैं । कोआपरेटिव फार्मिंग के विरुद्ध उन्होंने अपनी राय जाहिर की है । ऐसा लगता है कि यह सरकार कोआपरेटिव फार्मिंग को सफल नहीं होने देना चाहती है । इस कोआपरेटिव फार्मिंग के पीछे जो भावना है उसको इन्होंने छोड़ दिया है । इस देश में तीन तरह की फार्मिंग होती है .... *(Interruptions)* श्रीमन्, मैं यह कह रहा था कि इस देश में तीन तरह की फार्मिंग होती है । एक तो हमारे देश में इंडिविजुअल फार्मिंग है जिसमें छोटे और बड़े सभी किसान सम्मिलित हैं । कोआपरेटिव फार्मिंग भी हमारे देश में चल रहा है । इसके अलावा स्टेट की तरफ से भी फार्मिंग चल रहा है । जहां तक कोआपरेटिव फार्मिंग का संबंध है, यह सभी प्रगतिशील देशों में अपनाया जा रहा है । जिन देशों की नीति समाजवादी समाज स्थापना की है उनमें भूखण्डों को कोआपरेटिव फार्मिंग के काम में लाया जाता है । देश में अन्न पैदा भी किया जा सकता है और समाजवाद की गाड़ी को आगे बढ़ाया जा सकता है तथा आर्थिक विषमता और एक्सप्लायटेशन जो सबसे अधिक भारतवर्ष में जमीन के माध्यम से भू-स्वामियों द्वारा भूमिहीनों और गरीबों का किया जाता है उसको रोका जा सकता है । तो मैं सरकार से यह जानना चाहता हूं कि क्या सरकार ने भूमि सुधार सम्बन्धी अपनी नीति को बिल्कुल त्याग दिया है ? दूसरा क्या सरकार भूमि सम्बन्धी सुधार कोआपरेटिव के माध्यम से करेगी ?

SHRI PILOO MODY: Sir, the Question Hour is over. The Minister should not be allowed to reply.

श्री भानु प्रताप सिंह : श्रीमन्, भूमि सुधार को तो नहीं त्यागा है इस सरकार ने और न कोई ऐसा विचार है । लेकिन भूमि सुधार के एक आवश्यक अंग सहकारी खेती को नहीं माना है । जहां तक उत्पादकता का प्रश्न है मैंने ...

श्री रामानन्द यादव : क्या विचार है, क्या सोचा है ?

श्री भानु प्रताप सिंह : Peasant proprietorship link-wage cooperative system is the best cooperative system.

मैं यह कहना चाहता हूं कि उत्पादकता और सोशलिस्ट देशों की बात कही गयी है । मैंने यह एक्सरसाइज किया है कि जो देश पहले एक थे और फिर दो टुकड़ों में बंट गये कम्युनिस्ट और नान-कम्युनिस्ट जैसे नार्थ-कोरिया-साउथ कोरिया, ईस्ट जर्मनी-वेस्ट जर्मनी, नार्थ वियतनाम-साउथ वियतनाम, ईस्ट यूरोप-वेस्ट यूरोप, अमरीका और रूस यहां की 6 सालों की प्रति हैक्टेयर तीन फसलों की उत्पादकता का अध्ययन किया गया और यह पाया गया कि न किसी वर्ष और न किसी फसल में किसी भी कम्युनिस्ट देश में गैर-कम्युनिस्ट देशों से उत्पादकता ज्यादा रही है ।

SHRI JAGJIT SINGH ANAND: There is no North Vietnam and South Vietnam. He must correct his version.

MR. CHAIRMAN: The Question Hour is over. Now we take up Short Notice Question.

श्री वी० सत्यनारायण रेड्डी : सभापति महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि मैंने आपको एक पत्र दिया था कि यहां पर जो तेलुगु में भाषण होंगे उनके लिये अनुवाद की व्यवस्था की जाये । लेकिन उसका कोई उत्तर नहीं आया । इसलिये मैं यहां पर आपसे निवेदन कर रहा हूं ।

12 NOON

SHORT NOTICE QUESTION AND ANSWER.

Assistance to West Bengal Government for reconstruction work in Flood-Ravaged Areas

2. PROF. SOURENDRA BHATTACHARJEE: Will the Minister of AGRICULTURE AND IRRIGATION be pleased to state:

(a) whether the Central Government have received any memorandum from the West Bengal Government regarding the reconstruction work in the flood-ravaged areas in that State;

b) if so, what action the Central Government have taken thereof; and

(c) whether the Central assistance provided for the purpose would be in addition to the Plan allocation to the State?

THE MINISTER OF AGRICULTURE AND IRRIGATION (SHRI SURJIT SINGH BARNALA): (a) to (c) A statement is laid on the Table of the House.

Statement

(a) Yes, Sir. The Government of West Bengal submitted a Memorandum seeking funds for relief and rehabilitation of the population affected by floods.

(b) The Central Government deputed Central Teams three times to make on-the-spot assessment of the situation and the requirements of the State Government for advance Plan assistance. On the basis of the recommendations of the Central Team and the High Level Committee on Relief, advance Plan assistance of Rs. 88.93 crores has been sanctioned to meet the additional expenditure necessitated by floods. The Central Government have also released 50,000 MT of wheat, 45,000 MT of rice and 500 MT of masoor dal for distribution as gratuitous relief.

(c) In accordance with the existing arrangements and policy being followed, Central assistance is to be given in the form of advance Plan assitance which is to be utilised for accelerating the on-going Plan works or for undertaking new approved Plan works which fit in the Plan priorities. However, adequate care is taken see that as a result of additional assistance being given in the current year, there was no adverse effect on the pace of economic development of the State.

PROF. SOURENDRA BHATTACHARJEE: Sir, since the question was put, the report of the Seventh Finance Commission has been out and in that report, quite a new formula has been suggested regarding Central assistance in case of natural calamities. So far, the assistance has been given on the basis of the recommendations in this regard as embodied in the Sixth Finance Commission. I would like to know whether the question of assistance has been reconsidered by the Union Government in the light of the recommendations of the Seventh Finance Commission which have been accepted by the Government of India. Secondly, I would like to know whether the grants so far made or the allocations so far made are final or further assistance is under consideration or contemplation.

SHRI SURJIT SINGH BARNALA: Sir, the recommendations of the Seventh Finance Commission will apply only from 1st of April, 1979. So, for the time being we could not wait for the application of that and then allow the assistance. The assistance is being given. Regarding the second part of the question whether it is final or some more will be given, Sir, there is no finality to this type of assistance when there are cyclones, when there are floods. If after some time, some more assistance is required, I hope, that will be made available.

PROF. SOURENDRA BHATTACHARJEE: Sir, one clarification regarding the first part of the answer given by the Minister. I did not say that the Government of India could